न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण Gems No. 2022/386
दायरा तिथि : 20.10.2022
निर्णय दिनांकः 10-11-2023

वादीगण :–

1. रूपसिंह पुत्र पबसिंह
2. महावीरसिंह पुत्र पबसिंह
3. भीकी कुंवर पुत्री पबसिंह
4. दाकू कुंवर पुत्री पबसिंह

जातिगण राजपूत निवासीगण बेडा तहसील बाली जिला पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति :–

1 श्री हेमंत बोहरा — अभिभाषक वादीगण की ओर से
2 नायब तहसीलदार, बाली — .....पैरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक : 10-11-2023

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादीगण ने वाद अंतर्गत धारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर ग्राम बेडा प्रथम के गत खसरा नंबर 827 में अपने स्व. पिता पबसिंह पुत्र लाल सिंह को दिनांक 25.06.1971 को नियमनशुदा भूमि 3 बिघा 10 बिस्वा के भू भाग से मौका स्थिति अनुसार बने हाल खसरा नंबर 76 रकबा 14.61 हैक्टर में से 0.56 हैक्टर भूमि का दुरूस्ती के माध्यम से खातेदार घोषित किए जाने का निवेदन किया। वादीगण ने अपने वादपत्र में इसका आधार यह बताया कि वादीगण के पिता को पुराने कब्जें के आधार पर ग्राम बेडा प्रथम के गत खसरा नंबर 827 में से 3 बिघा 10 बिस्वा भूमि नियमन की गई, नियमन आदेश की पालना में पटवारी हल्का बेडा के द्वारा नामांतरणकरण सं. 218 खोला गया। नामांतरकरण स्वीकृति के पश्चात वादीगण के स्व. पिता पबसिंह पुत्र लालसिह को जमाबंदी संवत 2031 से 2034 में खातेदार के तौर पर इंद्राज किया गया। मिलान क्षेत्रफल अनुसार तथा मौका स्थिति अनुसार गत खसरा नंबर 827 से बने हाल खसरा नं 76 के संपूर्ण रकबा 14.61 हैक्टर की किस्म गै.मु. मगरा दर्ज करते हुए राजकीय सिवासयचक खाते में भू–प्रबंध कर्मचारीयों द्वारा गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। जबकि वादीगण के पिता का नियमनशुदा भूमि पर कब्जा था तथा वक्त नियमन गत खसरा नंबर 827 की किस्म बारानी तृतीय थी। वादीगण के पिता के देहांत के बाद वादीगण भी अपने पिता को नियमनयशुदा भूमि के मौका स्थिति अनुसार बने ग्राम बेडा प्रथम के हाल खसरा नंबर 76 रकबा 14.61 हैक्टर में से 0.56 हैक्टर भूमि पर काबिज काश्त है। परंतु राजस्व रेकॉर्ड में भू–प्रबंध विभाग की त्रुटि से भूमि सिवायचक दर्ज होने से वादीगण के विरूद्ध प्रतिवादी तहसीलदार बाली व इसके प्रतिनिधियों द्वारा धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही कर वादीगण के विरूद्ध जुर्माना आरोपित किये जाते है। जिससे वादीगण द्वारा अपने पिता को नियमनशुदा भूमि के खातेदारी हकूको की घोषणा खातेदारी के अलावा कोई विकल्प नहीं रहने से उक्त वाद न्यायालय में पेश किया है। उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या भू–प्रबंध विभाग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे कार्यवाही की है, जिसको दुरूस्त करते हुए वादीगण को खातेदार घोषित किया जावें। वादीगण ने अपने वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टी में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबंदी संवत 2076 से 2079 की प्रति प्रदर्श–4, वादग्रस्त भूमि का खसरा नक्शा प्रदर्श–5, वादीगण के पिता पबसिंह पुत्र लालसिंह को बेडा प्रथम के गत खसरा नंबर 827 में दिनांक 25.06.1971 को नियमनशुदा 3 बिघा 10 बिस्वा भूमि के नियमन आदेश की प्रति प्रदर्श–18, उक्त नियमन आदेश की पालना में वादीगण के पिता के नाम दाखिल व स्वीकृत नामांतरणकरण सं. 218 की प्रति प्रदर्श–1, उक्त नामांतरणकरण का रिकॉर्ड में अमलदरामद के पश्चात वादीगण के पिता पबसिह वल्द लालसिंह को जमाबंदी संवंत 2031 से 2034 में खातेदार दर्ज किये जाने की पुष्टि में जमाबंदी की प्रति प्रदर्श–2, गत खसरा नंबर 827 से हाल खसरा नंबर 76 बनने की पुष्टि में मिलान क्षेत्रफलं की प्रति प्रदर्श–3, हाल खसरा नंबर 76 की जमाबंदी संवत 2076 से 2079 की प्रति प्रदर्श–4, हाल खसरा नंबर 76 पर वर्ष 2021 में कब्जे की पुष्टि में धारा 91 के नोटिस की प्रति वर्ष 2018–19 में कब्जे की पुष्टि में खसरा परिवर्तनशील की प्रति, संवत 2071, 2072, 2073, 2074 के वर्षो में वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त होने की पुष्टि में इन वर्षो के खसरा परिवर्तनशील की प्रतियां प्रदर्श–6 लगाय प्रदर्श–9 पेश किए

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज.

पेज लगातार.....02

गए। तथा वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की नकल संवत 2072 से 2075 की प्रति भी पेश की, अपने पिता तथा माता की मृत्यु हो जाने से इनके मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतियां प्रदर्श–10 व 11 प्रस्तुत की गई। वादी रूपसिंह के आधार कार्ड की प्रति प्रदर्श–12, संवत 2075 में वादीगण द्वारा किए काश्त के प्रमाण स्वरूप खसरा परिवर्तनशील की प्रति प्रदर्श–13 पेश की गई। इसके साथ ही वादीगण द्वारा राजस्व कैम्प बेडा में दिनांक 11.06.2015 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति प्रदर्श–19, शिविर में तहसीलदार बाली व उसके प्रतिनिधियों द्वारा शिविर प्रभारी को की गई जांच रिपोर्ट प्रदर्श–20, वादीगण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत धारा 136 के प्रार्थना पत्र की प्रति प्रदर्श–14, न्यायालय द्वारा की गई कार्रवाही/आदेशिकाओं की प्रति प्रदर्श–15 तथा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2022 की प्रति प्रदर्श–16 पेश किये गए। इन अभिलेखीय साक्ष्यों के अतिरिक्त बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह वादीगण स्वयं पीडब्लु–1 से पीडब्लु–4 के बयान कराए गए। तथा स्वतंत्र गवाह भीकसिंह पुत्र खीमसिंह के बयान कलमबद्ध कराए गए। वादीगण के वादपत्र में सम्मन जारी किये जाने पर तहसीलदार बाली ने रिकॉर्ड व मौका स्थिति की जांच कर अपने पत्रांक भू.अ/2023/2097 दिनांक 22.03.2023 से रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा दिनांक 18.09.2023 को प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा बिन्दुवार जवाबदावा भी प्रस्तुत किया गया। अपने जवाब के पदसंख्या 9 में पैरोकार सरकार द्वारा वर्णित किया गया कि ग्राम बेडा चक 1 तहसील बाली के गत खसरा नंबर 827 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा (0.56 हैक्टर) के हाल खसरा नंबर 76 बने है। हाल खसरा नंबर 76 को भू–प्रबंध विभाग द्वारा राजकीय सिवायचक दर्ज कर दिया गया। राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन करने पर वादीगण के पिता द्वारा उक्त भूमि का बेचान, हस्तांतरण आदि नही हुआ है। वादीगण का कब्जा काश्त लगातार होने से व भूमि राजकीय सिवायचक भूमि होने से नियमानुसार धारा 91 की कार्यवाही की जा रही है। वादीगण का उक्त वर्णित आराजी में कब्जा काश्त होने से एवं पूर्व में वादीगण के पिता खातेदार होने से वादीगण को खातेदार दर्ज किया जाना उचित है। दावें व जवाबदावें के आधार पर प्रकरण में पृथक से वाद बिंदु कायम किए गए। वादी पक्ष के साक्ष्य के पश्चात प्रतिवादी पक्ष के साक्ष्य गवाह डीडब्लु–1 पटवारी हल्का बेडा प्रथम के बयान कलमबद्ध किए गए। दोनों पक्षों की साक्ष्य समाप्ति के पश्चात उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील वादीगण श्री हेमंत बोहरा ने बहस में वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहरातें हुए दलील दी कि वादीगण के पिता पवसिंह पुत्र लालसिंह का ग्राम बेडा प्रथम स्थित भूमि गत खसरा नंबर 827 के रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा पर पुराना कब्जा काश्त होने से दिनांक 25.06.1971 को भू आवंटन/नियमन सलाहकार समिति द्वारा भूमि नियमन की गई। वादीगण के पिता को नियमन की गई भूमि का नामांतरणकरण सं. 218 दाखिल किया जाकर बाद जांच नायब तहसीलदार बाली द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त नामांतरण के आधार पर वादीगण के पिता पवसिंह को बंदोबस्त पूर्व की खतौनी संवत 2031 से 2034 में ग्राम बेडा प्रथम के गत खसरा नंबर 827 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय का खातेदार दर्ज किया गया। उक्त भूमि पर वादीगण के पिता का कब्जा काश्त होते हुए भू–प्रबंध कार्रवाही के दौरान गत रेकॅर्ड से हाल रेकॅर्ड तैयार करते समय ग्राम बेडा प्रथम के गत खसरा नंबर 827 से बने हाल खसरा नंबर 76 रकबा 14.61 हैक्टर संपूर्ण को राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज करते हुए भूमि की किस्म बारानी III से गै.मु. मगरा दर्ज कर दी गई, जबकि वादीगण के पिता व पिता के देहांत के पश्चात वादीगण उक्त नियमनशुदा भूमि रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा के तुल्य 0.56 हैक्टर पर आज भी काबिज काश्त है। विद्वान वकील वादीगण ने बहस में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की उपधारा 5ए की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ठ कर दलील दी कि भू प्रबंध विभाग को पूर्व की प्रविष्टियों में किसी प्रकार के रदोबदल यथा खातेदार, भूमि की किस्म इत्यादी को परिवर्तन करने के अधिकार नहीं है। भू–प्रबंध विभाग मात्र इंसफर/उत्तराधिकार के आधार पर ही मजमा–ए–आम में नियत प्रक्रिया के तहत पूर्व के रिकॉर्ड को परिवर्तन कर सकता है। इस संबंध में माननीय राजस्व मंडल अजमेर के भी बहुत सारे निर्णय पारित है। वादीगण के उक्त प्रकरण में भी वादीगण के पिता सेटलमेंट के पूर्व के अधिकार अभिलेख जमाबंदी संवत 2031 से 2034 में ग्राम बेडा प्रथम के गत खसरा नंबर 827 में रकबा 3 बीघा 10 बीस्वा किस्म बारानी III के खातेदार दर्ज थे। जिसको भू–प्रबंध कार्यवाही के बाद तैयार राजस्व अभिलेख में वादीगण के पिता को खातेदार दर्ज नहीं किया तथा गत खसरा नंबर 827 के भू भाग से मौका स्थिति व मिलान क्षेत्रफल के अनुसार बने ग्राम बेडा प्रथम के हाल खसरा नंबर 76 रकबा 14.61 हैक्टर किस्म गै.मु मगरा दर्ज करते हुए राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज कर दिया जबकि हाल खसरा नं 76 के 3 बीघा 10 बिस्वा के तुल्य भूमि 0.56 हैक्टर पर वादीगण आज भी काबिज है। इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण में भू प्रबंध विभाग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के परे कार्यवाही की जाने से न्यायालय को धारा 136 के तहत अधिकार प्राप्त होने से शुद्धि के आदेश जारी किए जाने की दलील दी। विद्वान वकील श्री हेमंत बोहरा द्वारा बहस में यह भी दलील दीकि वादी गण के वाद पत्र को प्रतिवादी तहसीलदार बाली व उसके प्रतिनिधि पटवारी हल्का बेडा प्रथम ने भी स्वीकार किया है तथा बयानों एवं रिपोर्टो में भी यह स्वीकार किया गया है कि वादीगण के पिता को नियमनशुदा भूमि का आजदिन तक बेचान, हस्तांतरण नहीं हुआ है। अतः वादीगण को प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो व मौखिक साक्ष्यों के आधार पर खातेदार घोषित करते हुए प्रतिवादी के विरूद्ध सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावें। विद्वान पैरोकार सरकार द्वारा बहस में जवाब के तथ्यों को दोहरातें हुए भूमि वर्तमान में राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज होने से

पेज लगातार.....03

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : Gcms No 2022/386

अनवान रूपसिंह वगैरा बनाम सरकार

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

वादीगण का वाद खारिज किये जाने की दलील दी। इस पर विद्वान वकील वादी ने पुनः दलील दी की भूमि सिवायचक होने के तथ्य को तो वादीगण भी स्वीकार करते है परंतु सेटलमेंट पूर्व के रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारी के अनुरूप भू प्रबंध पश्चात के रिकॉर्ड में वादीगण के पिता को खातेदार दर्ज नहीं करने तथा भूमि सिवायचक खाते में दर्ज करने से भूमि वर्तमान में सिवायचक दर्ज चली आ रही है। अब वादीगण के पिता का स्वर्गवास होने से वादीगण बतौर फुटस्टेप इस भूमि पर आदिनांक तक लगातार काबिज काश्त है। जिससे वादीगण खातेदारी पाने के अधिकारी है। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया व उभयपक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य वादीगण के पिता को नियमन शुदा भूमि का वादीगण के पिता पबसिंह पुत्र लालसिंह के नाम दाखिल व स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 218, नामान्तरकरण की पालना में रेकर्ड में अमल दरामद के पश्चात वनी सैटलमेंट पूर्व की जमाबंदी संवत 2031 से 2034 ग्राम बेडा प्रथम के गत खसरा नंबर 827 रकबा 3") बीघा से हाल खसरा नंबर 76 बनने की पुष्टि स्वरूप प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल तथा भूप्रबंध पश्चात के रिकॉर्ड मिसल बंदोबस्त संवत 2037 से 2056 से संबंधित मूल रिकॉर्ड को वादीपक्ष के मौखिक साक्ष्य व प्रतिवादी पक्ष के मौखिक साक्ष्य के दौरान तलब नहीं किया एवं मूल रिकॉर्ड पर प्रदर्श नहीं लगाये जाकर वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों पर ही प्रदर्श लगाये जाकर मौखिक साक्ष्यों से परिक्षीत कराया गया, जबकि दीवानी प्रकिया संहिता में विधि के प्रावधानों तथा साक्ष्य अधिनियम में नियत प्रावधानों अनुसार मूल रिकॉर्ड को तलब किये बिना वादीपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया जाना न्यायसंगत नहीं है जिससे न्यायालय द्वारा उक्त मूल रिकॉर्ड उप तहसील बेडा तथा तहसील बाली से तलब कर भू–अभिलेख शाखा के रिकॉर्ड प्रभारियों यथा अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो उप तहसील बेडा तथा ऑफिस कानूनगो बाली के बतौर न्यायालय साक्ष्य बयान कलमबद्ध किये गये। मौखिक साक्ष्य सीडब्ल्यू–2 श्री करणसिंह ने उपतहसील बेडा में उपलब्ध मूल रिकॉर्ड मिलान क्षेत्रफल तथा मिसल बंदोबस्त संवत 2037 से 2056 के रिकॉर्ड के आधार पर अपने कथन कलमबद्ध कराते हुये मिलान क्षेत्रफल ईएक्सडी–3ए तथा मिसल बंदोबस्त संवत 2037 से 2056 ईएक्सडी–4ए को परिक्षित किया। इसी प्रकार मौखिक साक्ष्य सीडब्ल्यू–1 श्री नेमपुरी ऑफिस कानूनगो बाली ने तहसील बाली के भू–अभिलेख शाखा में उपलब्ध मूल रेकर्ड ग्राम बेडा प्रथम के गत खसरा नंबर 827 रकबा 3") बीघा की सैटलमेंट पूर्व की जमाबंदी संवत 2031 से 2034 तथा नामान्तरकरण संख्या 218 के मूल रेकर्ड के आधार पर अपने कथन कलमबद्ध कराते हुये सैटलमेंट पूर्व की जमाबंदी संवत 2031 से 2034 ईएक्सडी–2ए तथा नामान्तरकरण संख्या 218 ईएक्सडी –1ए को परिक्षित किया। वादीगण द्वारा वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत अभिलेख न्यायालय के समक्ष मूल प्रस्तुत होने तथा मूल रेकर्ड के आधार पर प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यों भू–अभिलेख शाखा के प्रभारियों द्वारा स्वीकार कर बयानों के समय प्रस्तुत मूल अभिलेखों की प्रतियों को स्वीकार किये जाने के पश्चात न्यायालय द्वारा पुनः उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। उभयपक्ष वकुलाय की बहस एवं राजंस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धाारा 136 में वर्णित प्रावधानों एवं इन्द्रांज दुरूस्ती हेतू समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों में वर्णित दिशा–निर्देशों पर भी मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड व वकुलाय की वहस पर मनन के पश्चात प्रकरण में कायम वाद बिन्दुओं को निम्नानुसार निर्णित किया जाता है–

1. आया ग्राम बेडा प्रथम के गत खसरा नंबर 827 में रकबा 3 बीघा 10 बीस्वा भूमि वादीगण के पिता पबसिंह पुत्र लालसिंह को वर्ष 1971 में नियमन होने से वादीगण के पिता के नाम अमलदरामद होकर भू प्रबंध की खतौनी जमाबंदी संवत 2031 से 2034 में बतौर खातेदारी दर्ज रहीं है?..................वादीगण

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादीगण का था। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत सेकैण्डरी एवीडेंस भूमि नियमन आदेश दिनांक 25.06.1971 प्रदर्श–18 के अवलोकन से ज्ञात है कि उक्त आदेश के क्रम सं. 21 पर पबसिंह पुत्र. लालसिंह बालिया बेडा अंकन होकर ग्राम बेडा के खसरा नंबर 827 रकबा 3 बीघा 10 बीस्वा किस्म बारानी ।।। नियमन होना प्रमाणित है। उक्त तथ्यों को वादी पक्ष के गवाह पीडब्लु–1 लगाय 5 ने भी अपने बयानों मे स्वीकार किया है। तथा उक्त तथ्यों को प्रतिवादी पक्ष द्वारा न तो अपने जवाबदावे में न बयानों में अस्वीकार किया है तथा न ही जिरह के दौरान इसका खंडन किया गया है। जिससे यह मानने में कोई आपति नहीं है कि वादीगण के पिता पबसिंह पुत्र लालसिह को पुराने कब्जे व काश्त के आधार पर दिनांक 25.06.1971 को बेडा के गत खसरा नं. 827 में 3 बीघा 10 बीस्वा भूमि आंवटित हुई थी। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–1 नामांतरणकरण सं. 218 की प्रति मे दर्ज इन्द्राज के अनुसार वादीगण के पिता को बेडा के गत खसरा नंबर 827 में नियमनशुदा भूमि का नामांतरणकरण भरा गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2031 से 2034 की प्रति प्रदर्श–2 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार नामांतरणकरण सं. 218 का अमलदारमद होकर भू–प्रबंध पूर्व के अधिकार अभिलेखों में अभिलेखों में ग्राम बेडा प्रथम के गत खसरा नंबर 827 रकबा 3 बीघा 10 बीस्वा किस्म बारानी ।।। का वादीगण के पिता पबसिह पुत्र लालसिह कौम राजपूत सा.दे. खातेदार दर्ज किया जाना प्रमाणित है। इस तथ्य को वादी पक्ष के प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यों

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बाली (जिला–पाली) राज.

पेज लगातार.........04

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : Gcms No 2022/386

अनवान रूपसिंह वगैरा बनाम सरकार

वाद अन्तर्गत धारा 88, 180, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

गवाह पीडब्लु-1 से पीडब्लु-5 ने भी बयानों में स्वीकार किया गया है तथा इस तथ्य को न्यायालय के मौखिक साक्ष्य गवाह सीडब्ल्यू-1 श्री नेमपुरी ऑफिस कानूनगो तहसील वाली द्वारा मौखिक साक्ष्य के दौरान स्वीकार किया है। प्रतिवादी पैरोकार सरकार न तो अपने जवाबदावें एवं न ही प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य गवाह डीडब्लु-1 के माध्यम से इस तथ्य का खंडन कर पाए है। जिससे उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

2. आया वादीगण के पिता के नाम दर्ज खातेदारी भूमि को भू-प्रबंध कार्यवाही के पश्चात गत खसरा नंबर 827 के भू-भाग से बने ग्राम बेडा के हाल खसरा नंबर 76 रकबा 0.56 हैक्टर पर वादीगण के पिता व पिता के देहांत पश्चात वक्त नियमन से आदिनांक तक काबिज काश्त होने के बावजूद वादग्रस्त भूमि को राजकिय सिवायचक दर्ज किये जाने से वादीगण इन्द्राज दुरूस्ती के द्वारा घोषणा खातेदारी के साथ प्रतिवादी के विरूद्ध सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री पारित कराने के अधिकारी है?.....वादीगण

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादीगण का था। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में प्रस्तुत भू-प्रबंध पूर्व की जमाबंदी संवत 2031 से 2034 की प्रति प्रदर्श-2 व न्यायालय द्वारा तलब मूल की प्रति प्रदर्श ईएक्सडी-2ए में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम बेडा के गत खसरा नंबर 827 रकबा 3 बीघा 10 बीस्वा किस्म बारानी III का खातेदार वादीगण के पिता पबसिंह वल्द लालसिंह कौम राजपूत दर्ज होना प्रमाणित है। पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल की प्रति प्रदर्श-3 व न्यायालय द्वारा तलब मूल रेकर्ड की प्रति प्रदर्श इएक्सडी-3ए में दर्ज इन्द्राज के अनुसार भी ग्राम बेडा के हाल खसरा नंबर 76 गत खसरा नंबर 827 से बनना ज्ञात है। पत्रावली पर उपलब्ध जमांबदी संवत 2076 से 2079 प्रदर्श में दर्ज इन्द्राज अनुसार ग्राम बेडा प्रथम के गत खसरा नंबर 827 से बनें हाल खसरा नंबर रकबा 14.61 हैक्टर किस्म गै.मु. मगरा राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज होना प्रमाणित है। इस प्रकार वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि प्रस्तुत अभिलेखिय साक्ष्यों से होती है। वादीगण के प्रस्तुत गवाहो ने भी इस तथ्यों को स्वीकारा है तथा प्रतिवादी पक्ष के गवाह डीडब्लु-1 ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श-10 व प्रदर्श-11 के अनुसार वादीगण केपिता की मृत्यु 18.08.2003 एवं माता की मृत्यु दिनांक 04.04.2013 को हो चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा परिवर्तनशील की प्रतियों प्रदर्श-6 लगाय 9 तथा प्रदर्श-13 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार वादीगण का संवत 2071 से 2075 के वर्षो में काश्त व कब्जा रहा है। तथा पत्रवाली पर उपलब्ध धारा 91 के नोटिसों की प्रतियों के अनुसार भी वादीगण का इन वर्षो के अलावा अन्य वर्षो में भी कब्जा काश्त रहा है। गवाह डीडब्लु-1 पटवारी हल्का बेडा प्रथम अपने बयानों में इस वर्ष भी वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर तिल बोने के तथ्य को स्वीकार करते है। इसके साथ ही प्रतिवादी पैरोकार सरकार वादीगण के पिता को नियमनशुदा भूमि का बेचान अथवा अन्य किसी तरीके से अंतरण किये जाने के तथ्य को अस्वीकार करते है जिससे यह माननें में कोई आपति नहीं है कि वादीगण के पिता को नियमनशुदा भूमि का आदिनांक तक बेचान हस्तांतरण नहीं होने के बावजूद भू-प्रबंध कार्यवाही के दौरान भू-प्रबंध कर्मचारियों द्वारा वादीगण के पिता के नाम भू-प्रबंध पूर्व तक रेकॅर्ड में खातेदारी दर्ज होने के बावजूद भू-प्रबंध के पश्चात तैयार राजस्व रेकॅर्ड में वादीगण के पिता को खातेदार दर्ज नही किया गया है। जिससे उक्त तनकी भी वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

आया वादग्रस्त भूमि ग्राम बेडा प्रथम के हाल खसरा न 76 रकबा 14.61 हैक्टर किस्म गै. मु मगरा राजकीय सिवायचक दर्ज होने से धारा 91 एलआर एक्ट के तहत प्रतिवादी, वादीगण के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही करने के अधिकारी है?.....प्रतिवादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादी का था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य सेटलमेंट पश्चात की जमाबंदी संवत 2076 से 2079 की प्रति प्रदर्श-4 मे दर्ज इन्द्राज के अनुसार बेडा चक प्रथम के हाल खसरा नं 76 रकबा 14.61 हेक्टर राजकीय सिवायचक दर्ज है। भूमि राजकिय सिवायचक होने के तथ्य को वादीगण स्वयं भी स्वीकार करते है। परंतु वादीगण का उक्त वाद में मुख्य रूप से यही अनुतोष रहा है कि सेटलमंट पूर्व के रिकॉर्ड ऑफ राईटस जमाबंदी संवत 2031 से 2034 में पिता के नाम गत खसरा नं 827 में दर्ज खातेदारी भूमि 3 बीघा 10 बीस्वा का खातेदार बंदोबस्त पश्चात के रिकॉर्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी मे दर्ज नही कर भू-प्रबंध विभाग द्वारा त्रुटि की है जिसको वादीगण दुरूस्ती के जरिये पुनः खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी तहसीलदार वाली व उसके प्रतिनिधि पटवारी हल्का बेडा अपने जांच रिपोर्ट मे यह स्वीकार करते है कि भू-प्रबंध विभाग द्वारा त्रुटि कर वादीगण के पिता को खातेदार दर्ज नहीं किया है। इस प्रकार प्रतिवादी पैरोकार सरकार न तो अपने जवाबदावा में एव न ही साक्ष्य के माध्यम से वादीगण की इस मांग को गलत ठहराने में सफल रहे है। इसके

पेज लगातार.....05

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी वाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
वाली (जिला-पाली) राज.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : Gems No 2022/386

अनवान रूपसिंह वगैरा बनाम सरकार

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

विपरित प्रतिवादी पैरोकार सरकार जवाबदावा में वादीगण के वाद से सहमति प्रकट करते हुए राजस्व रेकॉर्ड दुरूस्त किए जाने की भी अनुशंषा करते है। इस प्रकार भूमि भले ही राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज हो परंतु इससे वादीगण को अपने हकूको से वंचित नहीं किया जा सकता। जिससे उक्त तनकी आंशिक वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

4. अनुतोष–तनकी सं 1 से 3 उपरोक्तानुसार वादीगण के पक्ष में निर्णित हो जाने से वादीगण और किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही रहते है।

निर्णय

तनकी सं 1 से 4 उपरोक्तानुसार निर्णित करने के पश्चात हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि भू–प्रबंध पूर्व के रिकॉर्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी संवत 2031 से 2034 में ग्राम बेडा प्रथम के गत खसरा नंबर 827 रकबा 3 बीघा 10 बीस्वा के खातेदार वादीगण के पिता पबसिंह पुत्र लालसिंह दर्ज होने बावजूद भू–प्रबंध कर्मचारियों द्वारा भू–प्रबंध कार्यवाही के पश्चात तैयार राजस्व अभिलेख मिसल बंदोबस्त संवत 2037 से 2056 में वादीगण के पिता को खातेदार दर्ज नहीं किये जाने से जमाबंदी सवत 2072 से 2075 में गत खसरा नं 827 से बने हाल खसरा नंबर 76 रकबा 14.61 हैक्टर राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज है तथा इसके पश्चात बनी जमाबंदी संवत 2076 से 2079 मे भी बदस्तूर राजकीय सिवायचक खाते मे दर्ज है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में भू–प्रबंध विभाग के कर्मचारियों के द्वारा की गई दोषपूर्ण कार्यवाही की वजह से वादीगण के पिता के नाम दर्ज खातेदारी को बिना किसी अधिकारों के विलोपित कर दिया जाना प्रमाणित है। वर्तमान जमाबंदी में भूमि की किस्म भी गै.मु. मगरा दर्ज है परंतु पत्रावली पर उपलब्ध खसरा नक्शा प्रदर्श–5 मे दर्ज इन्द्राज के अवलोकन से यह प्रमाणित है कि खसरा नबंर 76 के बटा नंबर 76/5, 76/4771, 76/1 और 76/2 पृथक–पृथक नक्शे में दर्ज है। जिससे वकील वादीगण की इन दलीलों को बल मिलता है कि अन्य आवंटियो के नाम तो खातेदारी दर्ज कर दी गई तथा वादीगण के पिता को नियमनशुदा भुमि जिसका की भू–प्रबध पुर्व के अधिकार अभिलेखो में वादीगण के पिता खातेदार दर्ज थें, उस भूमि को हाल खसरा नंबर 76 के रकबा 14.61 हैक्टर में मिलाते हुए किस्म गै.मु. मगरा दर्ज कर दी। जबकी वास्तविक स्थिति के अनुसार वादीगण के पिता को भी हाल खसरा नंबर 76 के बटा नबंर मे रकबा 3 बीघा 10 बीस्वा के तुल्य भूमि 0.56 हैक्टर का खातेदार दर्ज करते हुए उसकी किस्म बारानी III दर्ज कि जानी थी। भू–प्रबंध कर्मचरियों द्वारा अधिकार क्षेत्र के परे की गई कार्यवाही को धारा 136 के तहत दुरूस्ती के अधिकार बतौर लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर उपखण्ड अधिकारी में निहित होने तथा वादीगण के पिता का स्वर्गवास हो जाने तथा वादीगण बतोर फुटस्टेप ग्राम बेडा प्रथम के हाल खसरा नबंर 76 के रकबा 0.56 हैक्टर पर आज भी काबिज काश्त होने से खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में निहित प्रावधानों पर मनन के पश्चात ग्राम बेडा प्रथम के गत खसरा नंबर 827 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा किस्म III से मौका स्थिति एवं मिलान क्षेत्रफल अनुसार बने हाल खसरा नंबर 76 रकबा 14.61 हैक्टर में से वादीगण को 0.56 हैक्टर का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण के नाम घोषित की जा रही खातेदारी भूमि में प्रतिवादी दखलन्दाजी नहीं करें, इस हेतु प्रतिवादी के विरूद्ध राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम की धारा 188 के तहत सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती है। वादीगण के नाम घोषित की जा रही खातेदारी भूमि के पृथक से बटा नंबर कायम करते हुए नक्शे में तरमीम की जावें। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रिकॉर्ड में अमलदरामद व नक्शे में तरमीम के लिए तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का बेडा प्रथम को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 10-11-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
जलास श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. रूपसिंह पुत्र पबसिंह
2. महावीरसिंह पुत्र पबसिंह
3. भीकी कुंवर पुत्री पबसिंह
4. दाकू कुंवर पुत्री पबसिंह
   जातिगण राजपूत निवासीगण बेडा तहसील बाली जिला पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

–:: निर्णय ::– दिनांक : 10–11–2023

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व पेरोकार सरकार मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

तनकी सं 1 से 4 में किये गये निर्णय अनुसार प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि भू–प्रबंध पूर्व के रिकॉर्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी संवत 2031 से 2034 में ग्राम बेडा प्रथम के गत खसरा नंबर 827 रकबा 3 बीघा 10 बीस्वा के खातेदार वादीगण के पिता पबसिंह पुत्र लालसिंह दर्ज होने बावजूद भू–प्रबंध कर्मचारियों द्वारा भू–प्रबंध कार्यवाही के पश्चात तैयार राजस्व अभिलेख मिसल बंदोबस्त संवत 2037 से 2056 में वादीगण के पिता को खातेदार दर्ज नहीं किये जाने से जमाबंदी सवत 2072 से 2075 में गत खसरा नं 827 से बने हाल खसरा नंबर 76 रकबा 14.61 हैक्टर राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज है तथा इसके पश्चात बनी जमाबंदी संवत 2076 से 2079 मे भी बदस्तूर राजकीय सिवायचक खाते मे दर्ज है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में भू–प्रबंध विभाग के कर्मचारियों के द्वारा की गई दोषपूर्ण कार्यवाही की वजह से वादीगण के पिता के नाम दर्ज खातेदारी को बिना किसी अधिकारों के विलोपित कर दिया जाना प्रमाणित है। वर्तमान जमाबंदी में भूमि की किस्म भी गै.मु. मगरा दर्ज है परंतु पत्रावली पर उपलब्ध खसरा नक्शा प्रदर्श–5 मे दर्ज इन्द्राज के अवलोकन से यह प्रमाणित है कि खसरा नबंर 76 के बटा नंबर 76/5, 76/4771, 76/1 और 76/2 पृथक–पृथक नक्शे में दर्ज है। जिससे वकील वादीगण की इन दलीलों को बल मिलता है कि अन्य आबंटियो के नाम तो खातेदारी दर्ज कर दी गई तथा वादीगण के पिता को नियमनशुदा भुमि जिसका की भू–प्रबंध पुर्व के अधिकार अभिलेखो में वादीगण के पिता खातेदार दर्ज थें, उस भूमि को हाल खसरा नंबर 76 के रकबा 14.61 हैक्टर में मिलाते हुए किस्म गै.मु. मगरा दर्ज कर दी। जबकी वास्तविक स्थिति के अनुसार वादीगण के पिता को भी हाल खसरा नंबर 76 के बटा नबंर मे रकबा 3 बीघा 10 बीस्वा के तुल्य भूमि 0.56 हैक्टर का खातेदार दर्ज करते हुए उसकी किस्म बारानी ।।। दर्ज कि जानी थी। भू–प्रबंध कर्मचरियों द्वारा अधिकार क्षेत्र के परे की गई कार्यवाही को धारा 136 के तहत दुरूस्ती के अधिकार बतौर लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर उपखण्ड अधिकारी में निहित होने तथा वादीगण के पिता का स्वर्गवास हो जाने तथा वादीगण बतौर फुटस्टेप ग्राम बेडा प्रथम के हाल खसरा नबंर 76 के रकबा 0.56 हैक्टर पर आज भी काबिज काश्त होने से खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में निहित प्रावधानों पर मनन के पश्चात ग्राम बेडा प्रथम के गत खसरा नंबर 827 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा किस्म ।।। से मौका स्थिति एवं मिलान क्षेत्रफल अनुसार बने हाल खसरा नंबर 76 रकबा 14.61 हैक्टर में से वादीगण को 0.56 हेक्टर का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण के नाम घोषित की जा रही खातेदारी भूमि में प्रतिवादी दखलन्दाजी नहीं करें, इस हेतु प्रतिवादी के विरूद्ध राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम की धारा 188 के तहत सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती है। वादीगण के नाम घोषित की जा रही खातेदारी भूमि के पृथक से बटा नंबर कायम करते हुए नक्शे में तरमीम की जावें। इसी कदर डिक्री पर्चा मूर्तिब हो।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10–11–2023को जारी किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

(श्री भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज.